चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3115
दिनांक : 18.11.2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान(कृषि संकाय),
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय/महोदया,

कृपया निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश गोमतीनगर, लखनऊ के पत्रांक निर्यात–प्रकोष्ठ/(23)/2019–893 दिनांक 13.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित विविध कृषि उत्पादको के निर्यात एवं कृषि निर्यात उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि क्षेत्र के स्नातक/परास्नातक अथवा कृषि व्यापार के क्षेत्र में डिग्री धारक व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश से निर्यात की सम्भावनाओं को बल प्रदान किये जाने हेतु माननीय संचालक मण्डल की 156 वीं बैठक दिनांक 07.03.2019 के मद संख्या 15 पर प्रस्तुत योजनाओं पर मा0 परिषद द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया हैं। **(निर्णय की प्रति संलग्न हैं।)**

अतः उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

18.11.19
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01 सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02 परीक्षा नियंत्रक, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03 सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522-2720383, 384, 405, 137, 138, 139
फैक्स -0522-2720058

पत्रांक- निर्यात-प्रकोष्ठ/(23)/2019- 833 दिनांक 13/11/2019

G 540
14/11/19

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित विविध कृषि उत्पादों के निर्यात एवं कृषि निर्यात उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि क्षेत्र के स्नातक/परास्नातक अथवा कृषि व्यापार के क्षेत्र में डिग्रीधारक व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश से निर्यात की संभावनाओं को बल प्रदान किये जाने हेतु मा0 संचालक मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 07.3.2019 के मद संख्या-15 पर प्रस्तुत कार्ययोजना पर मा0 परिषद द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया"कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए कार्यवाही की जाए, के क्रम मे शासन के पत्र संख्या-815/80-1-2019-600(39)/2018, दिनांक-16 जुलाई, 2019 द्वारा प्राप्त निर्देश को सम्मिलित करते हुए निम्नवत् कार्ययोजना जारी की जा रही है:-

ST
14/11/19
Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

1. यह योजना 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवक-युवतियों के लिए है तथा कृषि, अभियांत्रिकी, प्रबन्धन एवं वाणिज्य/व्यापार की स्नातक उपाधि रखने वाले व्यक्तियों को इस योजना के पात्र है। प्रति वर्ष में अधिकतम 10 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
2. कृषि उत्पाद के निर्यात में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा चलाये जाने वाले सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम, जो कम से कम छः सप्ताह के हों, के लिए इच्छुक युवा उद्यमियों को पाठ्यक्रम की फीस का 50 प्रतिशत अथवा रू0 50 (पचास) हजार, जो भी कम हो मण्डी परिषद के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात उक्त उद्यमी को अपना कारोबार शुरू करने हेतु रू0 एक लाख पचास हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
4. निर्यातक उद्यमी के लिए बासमती चावल, मेंथा आयल एवं तिल को छोड़ते हुए अन्य कृषि उत्पादन तथा सभी प्रकार के जैविक उत्पाद के रू0 10 लाख के निर्यात करने पर इस ब्याज मुक्त ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
5. निर्यातक उद्यमी के द्वारा अगले रू0 10 लाख का निर्यात करने पर उसे एक बार रू0 50 हजार का अतिरिक्त अनुदान पुनः उपलब्ध कराया जायेगा।
6. ब्याजमुक्त ऋण की वापसी हेतु 2 वर्ष का Moratorium Period है। यदि निर्यातक उद्यमी दो वर्ष में रू0 10 लाख के कृषि उत्पाद का निर्यात नहीं कर पाता है तो इसकी वसूली निर्यातक उद्यमी से की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि अवधि की गणना रू0 एक लाख पचास हजार का ब्याज मुक्त ऋण देने की तिथि से की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पात्र होंगे।

क्रमशः 2

8. उक्त योजना में राज्य में स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही अनुदान दिया जायेगा।
9. मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा चलाये जाने वाले सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम का निर्धारण निर्यातकों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहभागिता से किया जायेगा।
10. लाभान्वित व्यक्तियों को निर्यात क्षेत्र में अपना करोबार स्थापित करने अथवा सेवायोजित होने की उचित समय अन्तराल पर समपरीक्षा की जायेगी।
11. ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर मण्डी परिषद से अनुबन्ध करना होगा।
12. निर्यात की गयी मात्रा के मूल्य के सम्बन्ध में शिपमेन्ट बिल/एयर वे बिल की प्रति एवं ई0जी0एम0 (Export General Manifest) सहित उपलब्ध कराने पर निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा।
13. यह अनुदान इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है।
14. निर्यात दायित्व के सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया व शर्तों को निर्धारित करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद अधिकृत होंगे।

/

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन- निर्यात-प्रकोष्ठ/(23)/2019- 853 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन।
2. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।
3. चेयरमैन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. चेयरमैन, फेडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप निदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियां, उत्तर प्रदेश।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट, मण्डी परिषद को वेबसाईट पर कार्यालय ज्ञाप अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

11.11.2019

निदेशक